न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 06 / 2023 / अपील

उनवान

1. मंगला पत्नि बाबूलाल जाति कलाल नि. चछलाव तहसील सुनेल

— अपीलांटस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 20.03.2023 नामा.सं. 4068

ग्राम पंचायत रायपुर

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील रेस्पोडेन्टस सं. 1 – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश दिनांक : 20/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा निर्णित नामा.सं. 4068 दिनांक 20.03.2023 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 1760 / 1 रकबा 0.2529 हेक्टर भूमि में से 0.1264 हेक्टर भूमि पूर्व दिशा की अपीलांटस ने रजिस्टर्ड बयनामें से दिनांक 07.02.2023 को खरीद की थी। ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा नामा.सं. 4068 को दिनांक 20.03.2023 आदेश पारित कर खारीज कर दिया, जो कि गैर कानूनी है। अपीलांटस ने रजिस्टर्ड बयनामें से आराजी को खरीद की थी एवं बेचानकर्ता ने अपनी स्वयं की खातेदारी की आराजी को अपीलांटस को बेचान की थी जिसका नामा.सं. 4068 दिनांक 15.02.2023 को हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया था जिसे रेस्पोडेन्टस सं. 1 के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को पेश किया जिसे रेस्पोडेटस सं. 1 ने विक्रेताओं के द्वारा उनके भाई के पक्ष में हकत्याग करने का एवं राजस्व [illegible] कोटा के यहां केस चलने का नोट डालकर खारीज कर दिया जबकि हकत्याग [illegible] पालना में नामा.सं. 2820 दिनांक 14.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:33:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

08.2015 को तस्दीक हो चुका है। इसके पश्चात सहखातेदारो के मध्य नामा.सं. 2837 से तहसीलदार पिडावा के द्वारा सहमति से विधिक बंटवारा कर ख.नं. 1760 रकबा 1 बीघा बेचानकर्ता के हिस्से में दर्ज कर खातेदारी में दे दी गई जिस बंटवारे पर विष्णुप्रसाद के भी सहमति के हस्ताक्षर है तथा किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2023 तक नहीं था उसके बाद भी रेस्पोडेन्टस सं. 1 ने गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड बयनामें के नामा. को खारीज कर दिया जिससे दिनांक 20.03.2023 को पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। बेचानकर्ता इन्द्राबाई, कांतीबाई, शांतीबाई को दिनांक 07.02.2023 को अपीलांटस के पक्ष में कराये गये बयनामें से नामा. तस्दीक करने में कोई आपत्ति नहीं है इसलिये उन्हे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत रायपुर का आदेश नामा.सं. 4068 दिनांक 20.03.2023 को निरस्त कर अपीलांटस के पक्ष में नामा. दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम रायपुर के नामा.सं. 4068 की प्रति, ग्राम पंचायत प्रस्ताव, नकल जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 114 की नकल, बेचान पत्र दिनांक 07.02.2023, नामा.सं. 2837 की प्रति, जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 226 की नकल, बंटवारा प्रस्ताव की छायाप्रतियां पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टसं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री महेन्द्रसिंह जैन व श्री मिथलेश टेलर ने वकालातनामा प्रस्तुत कर भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की आदेशिका प्रस्तुत की।

दिनांक 12.04.2023 को श्री कैलाशचन्द पि. भवानीशंकर जाति सुथार नि. रायपुर की ओर से एडवोकेट श्री मोहम्मद अल्ताफ मेव द्वारा आर्डर 1 रूल 10 का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया जिसे पर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।

वकील अपीलांटस की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी [illegible] उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किया गया था [illegible] होकर स्थगन आदेश खारीज हो चुका है जिसकी अपील [illegible] माननीय न्यायालय भू.प्रबंध एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:33:08 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां की गई जिसमें स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य जो हकत्याग हुआ है वह दिनांक 14.07.2015 को हुआ है जिसका नामा.दर्ज होकर तस्दीक हो चुका है जबकि वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति का बंटवारा दिनांक 18.08.2015 को हुआ है जिसका भी नामा.दर्ज होकर तस्दीक हो चुका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा नामा.सं. 4068 की पुश्त पर किया गया अंकन सही नहीं है जिससे नामा. 4068 बाबत जारी आदेश दिनांक 20.03.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा की गई बहस में निवेदन किया कि चुंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा एवं माननीय न्यायालय भू. प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां वाद/अपील जैरकार है जिसमें अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारान द्वारा पूर्व में हकत्याग व बंटवारा किया गया है जिस बाबत पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद चल रहा है जो कि इस न्यायालय की जानकारी में है, ऐसे में ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा नामा. 4068 पर दिया गया आदेश सही एवं उचित है। अपील अपीलांटस खारीज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम रायपुर की आराजी ख्रा.नं. 1760/1 रकबा 0.2529 में से 0.1264 हेक्टर पूर्व दिशा की भूमि को खातेदार इन्द्राबाई, कांतीबाई व शांतिबाई द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2023 को अपीलांट मंगला पत्नि बाबूलाल जाति कलाल नि. चछलाव के पक्ष में बेचान किया है जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामा.सं. 4068 दर्ज किया है। बाद जांच भू.अभिलेख निरीक्षक की नामा.तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत रायपुर के समक्ष पेश किया गया जिस पर ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा अंकन किया कि *" उक्त नामा.सं. 4068 पंचायत कोरम के समक्ष पेश हुआ जिसमें विक्रेता कांतीबाई, शांतिबाई, इन्द्राबाई पिता भवानीशंकर जाति सुतार निवासी रायपुर द्वारा आराजी ख.नं. 1760 रकबा 0.02529 में से 0.1264 हेक्टर भूमि का बेचान मंगला पत्नि बाबूलाल जाति कलाल नि. चछलाव हाल निवासी रायपुर* [illegible] *उक्त नामा. की जांच एवं विक्रेताओं के भाई कैलाशचन्द* [illegible] *से ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी भूमि का* [illegible] *इनके भाई विष्णुप्रसाद पि.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:33:08 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भवानीशंकर के पक्ष में किया गया है एवं उक्त आराजी का वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां वाद चल रहा है जिसमें स्थगन आदेश भी था, स्थगन आदेश खारीज होने के बाद उक्त प्रकरण की अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय कोटा के यहां जैरकार है। अतः पंचायत कोरम द्वारा उक्त नामा.को खारीज करने का प्रस्ताव पारित किया गया।"

उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार स्थगन आदेश इस पत्रावली पर उलब्ध नहीं है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से पूर्व में बंटवारा किया जाकर तहसीलदार पिडावा द्वारा तस्दीक हो चुका है। साथ ही अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी की खरीद रजिस्टर्ड बयनामें से की है। पक्षकारान द्वारा सहमति बंटवारा पत्र एवं रजिस्टर्ड बेचान पत्र को किसी प्रकार की चुनौती देने बाबत कोई दस्तावेज/साक्ष्य इस पत्रावली में पेश नहीं किये है।

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 1760/1 रकबा 0.2529 हेक्टर भूमि में से 0.1264 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 4068 आदेश दि. 20.03.2023 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश जारी नहीं हो तो अपीलांटस के पक्ष में दिनांक 07.03.2023 को करवाये गये रजिस्टर्ड बयनामा अनुसार समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/9/23

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:33:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner